रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2005/वैशाख 26, 1927
No. 210] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2005/VAISAKHA 26, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2005

सा.का.नि. 315(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची - I में ' डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के के लिए शोर सीमा ' से संबंधित क्रम संख्या 94 में पैरा 3.7 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्

" 4.0 भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा क्रय किए गए उत्पादों (30 किलोवॉट तक डीजल जेनरेट सेटों) के लिए पैरा 1 और 3 के उपबंधों से छूट ।

रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ 30 जून, 2006 तक भारत में विनिर्मित या आयातित उत्पाद हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उपर्युक्त पैरा 1 से पैरा 3 में दिए गए विनियमों से छूट दी जाएगी, अर्थात् :-

(i) रक्षा मंत्रालय से क्रय आदेश मिलने के पश्चात ही प्रदानकर्ता द्वारा उत्पादों का विनिर्माण अथवा आयात करेगा और उसके द्वारा प्राप्तियों, उत्पादन/आयात, प्रेषण आदि का अभिलेख केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण के लिए रखेगा ।

(ii) शोर मानकों से विशेष छूट केवल उन मोबाइल रक्षा वाहनों के लिए होगी जो अपने वर्तमान डिजाइन/रुप के साथ ध्वानिक अनुलग्नक वाले जेनरेट नहीं ले जा सकते हैं ।

(iii) रक्षा मंत्रालय के निदेशक द्वारा सेना के समस्त जैनसेटों की क्रमसंख्या सुनिश्चित और अनुरक्षित की जाएगी तथा उसके द्वारा इन जैनसेटों के विनिर्माताओं को यह निदेश भी दिया जाएगा कि वे जैनसेटों के इंजन और मुख्य भाग पर ' केवल **सेना के उपयोग के लिए** ' शब्द उत्कीर्ण करवाएं ।

(iv) रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्थापना और संविदा क्रय आदेश के अनुरोध के साथ जैनसेट की क्रम संख्या को विशेष रुप से निर्दिष्ट की जाएगी और निरीक्षण के लिए जब कभी अपेक्षित हो यह सूचना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी ।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष छूट के अधीन विनिर्मित जैनसेटों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा विनिर्माताओं के परिसरों और रक्षा मंत्रालय के रजिस्टरों में रखा जाएगा ।

(vi) इस छूट के अधीन उपाप्त किए गए जैनसेटों को दूरस्थ क्षेत्रों में, प्रचालित किया जाएगा न कि शहरों में ।

(vii) यह एक समय के लिए छूट होगी जिसके दौरान नए जैनसेट रखने तथा जैनसेटों के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सेना द्वारा अपने यानों का नया मॉडल तैयार किया जाएगा और जैनसेटों का आवश्यक प्रकार अनुमोदन भी अभिप्राप्त किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15022/2/2001-सी पी ए]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ); तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ); तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का. नि. 913 (अ); तारीख 24 अक्टूबर, 1989, का.आ. 12(अ); तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि.742 (अ); तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23(अ); तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ); तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95(अ); तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ); तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि.475(अ); तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797(अ); तारीख 1 अक्टूबर, 1992, सा.का. नि. 386(अ); तारीख 18 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ); तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801(अ); तारीख 31दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ); तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ); तारीख 31 अक्टूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ); तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7(अ); तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ); तारीख 6 अक्टूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ); तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ); तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ); तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ); तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ); तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ. 1088(अ); तारीख 11 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 849(अ); तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ); तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ); तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448(अ); तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धि पत्र सा.का.नि. 520(अ); तारीख 12 अगस्त, 2004 और सा.का.नि. 272 (अ) तारीख 5 मई, 2005

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2005

G.S.R. 315(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 94 relating to ' NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL', after paragraph 3.7, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"4.0 Exemption from the provisions of paragraph 1 and 3, for the products (diesel generator sets upto 30 KVA) purchased by the Ministry of Defence, Government of India.

The products manufactured in or imported into India till 30th June, 2006 for the purpose of supplying to the Ministry of Defence, shall be exempted from the regulations given in paragraphs 1 to 3 above, subject to the following conditions, namely:-

(i) The supplier shall manufacture or import the products only after getting purchase order from the ministry of Defence and shall maintain the record of receipts, production/import, dispatch, etc., for inspection by the Central Pollution Control Board.

(ii) The special dispensenation for noise norms shall be only for the mobile Defence vehicles which, with the present design/configuration, cannot carry the gensets with acoustic enclosures.

(iii) Director, Ministry of Defence shall ensure and maintain the serial number of all gensets for the Army and he shall also direct the manufacturers of these gensets to emboss on the engine and the main body of the gensets, the words **'For the use of Army only'**.

(iv) The genset serial number shall be specially assigned by Ministry of Defence with the request for proposal and contract purchase order and this information shall be forwarded to the Central Pollution Control Board for inspection as and when required.

(v) Registers shall be maintained at the manufacturers premises and in the Ministry of Defence to ensure that the number of gensets manufactured under special dispensation are not misused.

(vi) The gensets procured under this dispensation shall be operated in the remote areas and not in the cities.

(vii) This shall be a one-time exemption during which the Army shall remodel its vehicles to contain the new gensets and also obtain the necessary Type Approval of the gensets."

[F. No. Q.-15022/2/2001-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March,1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th, August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October,1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92(E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448(E) dated 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520(E) dated 12th August, 2004 and G.S.R. 272(E) dated 5th May, 2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.